

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	2.1 /
2.	वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण; प्ररुप एफ -1	1
3.	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररुप एफ -2	19
4.	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररुप एफ -3	25
5.	राजकोषीय स्थिति के सिलेक्ट सूचकों का विवरण; प्ररुप एफ -4	28
6.	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों की ब्याज लागत / निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररुप एफ -5	29
7.	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररुप एफ -6	31
8.	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररुप एफ -7	32
9.	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररुप एफ -8	33
10.	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररुप एफ -9	33
11.	बढ़ाई गई किन्तु वसूल न की गई राजस्व मांग पर राज्य सरकार द्वारा किये गये दावों तथा वचनबंध का विवरण; प्ररुप एफ -10	34
12.	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररुप एफ -11	35

//// * * * ////

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 जो क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5 एवं 7 के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रोइकॉनामिक फ्रेम वर्क स्टेटमेन्ट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

1. राज्य की अर्थव्यवस्था – एक नजर में

1.1 अर्थव्यवस्था का आकार, संरचना तथा वृद्धि, राज्य की राजस्व संग्रहण की क्षमताओं को निश्चित करती है तथा इस तरह बजट के आकार को निर्धारित करती है। दूसरी ओर, बजट का आकार, लोक व्यय के स्तर तथा अर्थव्यवस्था के आकार एवं वृद्धि दर को निर्धारित करता है। राज्य की अर्थ व्यवस्था का आंकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रचलित तथा स्थिर मूल्य पर किया जाता है। वर्ष 2004-05 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर रूपये 1,03,057 करोड़ तथा स्थिर मूल्य पर रूपये 60,324 करोड़ था। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय (जी एस डी पी) रूपये 9382 थी।

1.2 वर्ष 1993-94 में मध्य प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में योगदान 4.86 प्रतिशत था जो वर्ष 2003-04 में घटकर 4.19 प्रतिशत पर आ गया। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले उच्चतर दर पर वृद्धि होना है। राजकोषीय नीति के माध्यम से यह प्रयास होगा कि लोक निवेश में वृद्धि करते हुए तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए इस अंतर को दूर किया जाए।

1.3 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 2003-04 की क्षेत्रानुसार संरचना तालिका 1.1 में दर्शाई गई है जो अर्थव्यवस्था के ढांचे तथा उसमें परिवर्तन की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। विश्लेषण हेतु प्रारम्भिक वर्ष 1993-94 चुना गया है, क्योंकि इस वर्ष से राष्ट्र में घरेलू उत्पाद के आंकलन विधि की नई श्रृंखला सी एस ओ के निर्देश के अनुसार प्रारम्भ की गई है, जो वर्तमान में भी उपयोग की जा रही है। कृषि क्षेत्र में पशुपालन, वानिकी, मत्स्य उद्योग तथा खनन क्रिया सम्मिलित है। औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, सन्निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल प्रदाय सम्मिलित है। सेवा सेक्टर के अन्तर्गत रेलवे, अन्य परिवहन भण्डारण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं।

तालिका 1.1
अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक ढांचा

क्षेत्र / वर्ष	1993-94	2003-04
कृषि	43.19 (33.54)	33.96 (24.03)
उद्योग	21.15 (23.69)	26.71 (24.54)
सेवाएं	35.66 (42.77)	39.34 (51.43)

टीप :- सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं। कोष्ठक के आंकड़े अखिल भारतीय हैं। इस विवरण में जहां कहीं भी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच तुलना की गई है, वहां 2003-2004 के त्वरित अनुमानों का उपयोग किया गया है।

1.4 वर्ष 2003-04 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश 33.96 प्रतिशत था, एवं 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों का 71.5 प्रतिशत कृषि पर निर्भर था। वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.03 प्रतिशत था एवं कुल कामगारों का 58.2 प्रतिशत अंश कृषि पर निर्भर था। प्रारम्भ में मध्य प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश बहुत अधिक था, किन्तु 2003-04 में कृषि का अंश कम होकर 33.96 प्रतिशत रह गया जो राष्ट्रीय औसत 24.03 प्रतिशत से अधिक है। तालिका 1.2 में मध्य प्रदेश तथा कुछ राज्यों की अर्थ व्यवस्था की तुलनात्मक संरचना को दर्शाया गया है:-

तालिका 1.2
अर्थ व्यवस्था का ढांचा

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र	कृषि		उद्योग		सेवाएं	
	1993-94	2003-04	1993-94	2003-04	1993-94	2003-04
राज्य/वर्ष						
मध्य प्रदेश	43.19	33.96	21.15	26.17	35.66	39.34
उत्तर प्रदेश	39.80	35.11	21.45	20.97	38.75	43.91
बिहार	48.78	36.35	9.93	9.28	41.29	54.37
उड़ीसा	44.95	38.85	19.78	19.17	35.27	40.98
राजस्थान	36.27	30.50	24.96	25.06	38.77	44.44


1.5 उपरोक्त कालावधि के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योग के अंश में तीक्ष्ण वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योग का अंश न केवल उपरोक्त राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रहा बल्कि यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा। सेवा क्षेत्र का अंश भी ऊपर गया है। किन्तु यह राष्ट्रीय औसत 51.43 प्रतिशत की अपेक्षा काफी कम बना रहा है। मध्य प्रदेश की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के ढांचे का सर्वाधिक ध्यान देने योग्य पहलू तुलनीय राज्यों के बीच इसकी तीव्रतम औद्योगिकीकरण की दर है।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि

2.1 वर्ष 1993-94 से वर्ष 2003-04 की कालावधि के दौरान स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 4.06 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुई (ट्रेंड लाईन का उपयोग करके प्रगणित), जो राष्ट्रीय औसत 5.83 प्रतिशत से अत्यधिक कम थी। इसका प्रमुख कारण तीन वर्षों 2000, 2001 तथा 2002 में राज्य में भारी सूखा रहा। सूखे से प्रभावित होने के पूर्व, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय औसत 6.39 प्रतिशत के मुकाबले में 5.97 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इस प्रकार सूखे ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित समस्त राजकोषीय मापदण्ड को विकृत करता है। क्षेत्रवार विकास की दृष्टि से वर्ष 1993-94 से वर्ष 2003-04 की कालावधि के दौरान कृषि में 1.13 प्रतिशत की वार्षिक दर से, उद्योग क्षेत्र में 5.68 प्रतिशत एवं सेवा के क्षेत्र में 5.52 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

2.2 मध्यप्रदेश, तथा अखिल भारतीय क्षेत्रवार तुलनात्मक वृद्धि चित्र 1.1, 1.2, 1.3 में दर्शाई गई है। मध्य प्रदेश में उगाई जा रही प्रमुख फसलों में तिलहन, गेहूं, दलहन तथा धान है। वर्ष 2003-04 के दौरान बुआई क्षेत्र का 27 प्रतिशत तिलहन, 23 प्रतिशत दलहन, 21 प्रतिशत गेहूं तथा 9 प्रतिशत धान है।


चित्र 1.1
कृषि में तुलनात्मक वृद्धि



2.3 राज्य में कृषि अब भी परम्परागत है। यह अधिकांशतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में केवल कुल फसल का एक चौथाई क्षेत्र ही सिंचाई से लाभान्वित है, इस कारण कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। चूंकि कामगारों (28.7 प्रतिशत) का अत्यधिक अनुपात कृषि श्रमिकों का है, अतः मानसून की असफलता से कृषि पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के परिणामस्वरूप यह कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ाता है।


2.4 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि, राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हो रही है। निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का तीव्रतम वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। वर्ष 1993-94 से वर्ष 2003-04 की कालावधि में मध्यप्रदेश में औद्योगिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत के मुकाबले अधिक रही। कपड़ा उत्पादन, नॉन मेटेलिक, बुनियादी रसायन, मेटल तथा मशीनरी एवं खाद्य तथा बीवरेजेस, प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्य में कपड़ा उत्पादन का योगदान 19.16 प्रतिशत, बुनियादी रसायनों का 15.95 प्रतिशत, नॉन मेटेलिक का 16.34 प्रतिशत, मेटल तथा मशीनरी का 15.95 प्रतिशत एवं खाद्य एवं बीवरेजेस 12.74 प्रतिशत रहा। रोजगार निर्माण में कपड़ा उत्पादन का योगदान 28.86 प्रतिशत था जो सभी पंजीकृत क्षेत्र में सबसे अधिक रहा है।

चित्र 1.2
औद्योगिक वृद्धि



2.5 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र बड़ा सुस्त रहा है और अखिल भारतीय वृद्धि दर की अपेक्षा इसमें धीमी गति से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1993-94 से 2003-04 की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि का रुख (ट्रेण्ड ग्रोथ) जहाँ 5.5 प्रतिशत था वही उसकी राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि 6.8 प्रतिशत थी। राज्य में भौतिक अधोसंरचना की कमी के कारण सेवा क्षेत्र का स्तर कम है तथा उसकी वृद्धि धीमी है। वर्ष 2003-04 के दौरान, रेल्वे, अन्य परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत 25.55 प्रतिशत के मुकाबले राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान 17.97 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बैंकिंग, बीमा तथा स्थानीय संपदा का योगदान राष्ट्रीय औसत 12.84 प्रतिशत के मुकाबले 10.35 प्रतिशत था। अतः सेवा क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश की भौतिक अधोसंरचना के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

चित्र 1.3
सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर



2.6 किसी भी राज्य का विकास स्तर सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय के रूप में आंका जाता है। वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय रुपये 11,799/- की तुलना में मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम रुपये 8284 रही। अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि वर्ष 1993-94 तथा 2003-04 के दौरान वार्षिक राज्य औसत चक्रवृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम रही और इस प्रकार यह विकास के असमान स्तर को ही बढ़ावा देने वाली रही। फिर भी मध्य प्रदेश का प्रदर्शन अन्य तुलनीय राज्यों जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा की तुलना में, राजस्थान अपवाद को छोड़कर, बेहतर रहा है।

तालिका 1.3
बड़े राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

राज्य	1993-94	2003-04	वृद्धि दर (%)
आन्ध्र प्रदेश	7416	11333	4.33
बिहार	3037	3557	1.59
झारखण्ड	5897	8247	3.41
गुजरात	9796	16779	5.53
हरियाणा	11079	15721	3.56
हिमाचल प्रदेश	7870	12302	4.57
कर्नाटक	7838	13141	5.30
केरल	7983	12328	4.44
मध्य प्रदेश	6584	8284	2.32
छत्तीसगढ़	6539	8383	2.52
महाराष्ट्र	12183	16479	3.07
उड़ीसा	4896	6487	2.85
पंजाब	12710	15800	2.20
राजस्थान	6182	9685	4.59
तमिलनाडु	8955	12976	3.78
उत्तर प्रदेश	5066	5702	1.19
पश्चिम बंगाल	6756	11612	5.57
अखिल भारतीय	7690	11799	4.37

वृद्धि को वार्षिक औसत चक्रवृद्धि दर पर प्रगणित किया गया है।

स्रोत, सी.एस.ओ. भारत सरकार।

3. राज्य की वित्तीय स्थिति

प्राप्तियां

3.1 राजकोषीय आधार पूरी तरह राज्य के विकास पर निर्भर है। राज्य की अधोसंरचना के लिए किया गया लोक निवेश राज्य की उत्पादक क्षमता बढ़ाता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व संभावनाओं में वृद्धि करती है। राज्य की अर्थव्यवस्था राजकोषीय आकार को निर्धारित करती है और इसे दीर्घावधि में ही बढ़ाया जा सकता है। इस लिये मध्यकाल में राज्य की राजकोषीय सुदृढ़ता में सुधार लाया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि करते हुए अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।

3.2 सरकार की कुल प्राप्तियां, राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखे के अतिशेष से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियों, लोक ऋण तथा उधार वसूली से मिलकर राज्य की संचित निधि बनती है। वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 64.66 प्रतिशत तथा 78.56 प्रतिशत (तालिका 1.4) के मध्य परिवर्तित होता रहा है। इसकी मुख्य वजह लोक ऋण तथा लोक लेखे में घटबढ़ रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान लगभग रूपये 2750 करोड़ के बाण्ड, मोन्टेकसिंह अहलूवालिया समझौते के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के केन्द्रीय लोक उपक्रमों के प्रति बकाया दायित्वों के समाधान हेतु जारी किए गए थे और इस राशि का मण्डल को अनुदान दिया गया था। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने लेखा संबंधी समस्याओं की वजह से यह अनुदान वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य को वापस कर दिया था। वापस किए गए अनुदान को वर्ष 2004-05 के दौरान करेत्तर राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष की करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में भारी उछाल परिलक्षित होता है।

तालिका 1.4
राज्य की कुल प्राप्तियां

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	शुद्ध लोक ऋण	उधार वसूली	संचित निधि	शुद्ध लोक लेखा	कुल योग	राजस्व प्राप्तियां (संचित निधि से प्रतिशत)	राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2001-02	11200.98	2759.32	1590.61	15550.91	1770.66	17321.57	72.03	64.66
2002-03	13390.40	3455.68	42.71	16888.79	155.40	17044.19	79.29	78.56
2003-04	14288.96	7663.35	35.84	21988.15	-124.24	21863.91	64.98	65.35
2004-05	19743.26	5457.62	53.20	25254.07	993.72	26247.79	78.18	75.22

3.3 राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय कर के हस्तांतरण का निर्धारण वित्त आयोग के अवार्ड द्वारा होता है। बारहवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 6.711 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 6.799 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 6.543 प्रतिशत तथा 6.535 प्रतिशत का अंश निश्चित किया था। कुल प्राप्तियों में केन्द्रीय हस्तांतरण का अधिक अंश केन्द्र पर राज्य की निर्भरता को दर्शाता है और परिणामतः केन्द्र से राजस्व प्राप्तियों में कोई भी कमी राज्य की विकास सम्बन्धी

गतिविधियों को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। 11वें वित्त आयोग की कालावधि के दौरान राज्य को आयोग द्वारा अनुमानित हस्तान्तरण से रूपये 4950 करोड़ कम प्राप्त हुए। लगभग 40-45 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां केन्द्र से आती है (तालिका 1.5)। इस प्रकार, राज्य की राजकोषीय स्थिरता केन्द्रीय हस्तांतरण के प्रति अतिसंवेदनशील है। राज्य के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय यह आवश्यक है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित हस्तांतरणों और केन्द्र के बजट अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय हस्तांतरण में किसी भी कमी को सम्मिलित न किया जाए। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 9 (1) में विशिष्ट उपबंध किया गया है।

तालिका 1.5
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(रूपये करोड़ में)

राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां				केन्द्रीय हस्तांतरण			कुल राजस्व में राज्य के स्वयं के राजस्व का अनुपात
वर्ष	कर	वृद्धि दर (प्रतिशत)	करेत्तर राजस्व	कर	वृद्धि दर (प्रतिशत)	अनुदान	
2001-02	4668.88	—	1601.68	3439.30	—	1491.12	55.98
2002-03	6189.48	32.57	1635.48	3703.81	7.69	1861.63	58.44
2003-04	6805.10	9.95	1479.82	4230.90	14.23	1773.14	57.98
2004-05	7769.91	14.18	4461.86	5079.74	20.06	2431.74	61.95

राज्य का स्वयं का कर राजस्व

3.4 राज्य के कर राजस्व में गत तीन वर्षों के दौरान एक अच्छा उछाल दर्ज किया गया है। इसमें 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (एनुअल एवेरेज कम्पाउंड ग्रोथ रेट) से वृद्धि हुई है। बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 की कालावधि के लिए राज्य के कर राजस्व में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व की लोचनीयता (elasticity) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में (एक वर्ष पीछे की स्थिति में) वर्ष 1993-94 से 2004-05 के दौरान 1.32 है अर्थात् यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है तो एक वर्ष पश्चात् कर राजस्व में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

तालिका 1.6
12वें वित्त आयोग के अनुमान

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	वृद्धि दर (प्रतिशत)	कर भिन्न राजस्व	वृद्धि दर (प्रतिशत)
2005-06	9034.17	—	2136.67	—
2006-07	10335.09	14.40	2374.97	11.15
2007-08	11823.34	14.40	2645.92	11.41
2008-09	13525.90	14.40	2956.56	11.74
2009-10	15473.63	14.40	3315.51	12.14
योग	60192.13		13429.63	

3.4 राज्य के कर राजस्व में वृद्धि उत्साहवर्धक रही है, जैसा कि नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है। यदि राज्य इस रूख को कायम रख सकता है तो राजकोषीय पुनःसंरचना कार्यक्रम आसान हो जायेगा। यदि राजस्व लेखे की बचत को उत्पादक लोक निवेश में परिवर्तित किया जाता है तो राज्य की अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सकेगा। केन्द्र शासन द्वारा गठित साधिकार समिति द्वारा कुछ मुद्दों पर विनिश्चय न होने के कारण वर्ष 2005-06 में राज्य ने वैट (VAT) के क्रियान्वयन को स्थगित किया है। केन्द्रीय विक्रय कर (सी एस टी) को समाप्त किया जाना भी राज्य तथा केन्द्र के मध्य विवाद का कारण रहा है। वैट के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि जिन वस्तुओं में केन्द्रीय आबकारी कर अपवंचन हो रहा है उन वस्तुओं पर भी वैट कर प्रणाली में कर देना होगा।

तालिका 1.7
राज्य के कर राजस्व में वृद्धि

(रूपये करोड़ में)

स्वयं का कर राजस्व	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	वृद्धि (प्रतिशत)
वृत्ति कर	178.75	193.13	188.79	149.86	-5.71
भू-राजस्व	48.21	40.44	43.63	46.79	-0.99
स्टाम्प एवं पंजीयन	444.96	535.05	614.49	788.71	21.02
राज्य आबकारी	704.68	890.32	1085.89	1192.36	19.16
वाणिज्यिक कर	2360.74	2906.21	3293.26	3912.00	18.34
मोटरयान कर	393.33	428.64	454.92	488.65	7.50
प्रवेश कर	262.40	351.20	390.99	468.07	21.28
विद्युत शुल्क	268.19	801.26	697.06	707.18	38.15
अन्य कर	7.62	43.23	36.07	16.29	28.82
स्वयं का कर राजस्व	4668.88	6189.48	6805.10	7769.91	18.50

टीप - औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर के आधार पर

3.6 वाणिज्यिक कर राज्य के कर राजस्व में से 50.23 प्रतिशत उपार्जन करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। वाणिज्यिक कर में वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक गत चार वर्षों में स्थिर रूप से 18.34 प्रतिशत दर से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। प्रवेश कर, जो वाणिज्यिक कर से जुड़ा है, में भी स्थिर दर 21.28 प्रतिशत से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। स्टाम्प तथा पंजीयन में 21.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्युत शुल्क में वर्ष 2001-02 की तुलना में वर्ष 2002-03 में बकाया प्राप्तियों के कारण रूपये 533.07 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 में वृत्ति कर में कमी का कारण छूट सीमा रूपये 75,000 तक बढ़ाई जाना है। राज्य के वाणिज्यिक क्षेत्रों में हुए कर उछाल की पुनरावृत्ति परिवहन क्षेत्र में नहीं हुई है, जिसकी वजह से मोटरयान कर केवल 7.50 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। यह एक उपयुक्त क्षेत्र है जिसमें भविष्य में राजस्व बढ़ाने की संभावना है।

राज्य के करेत्तर राजस्व

3.7 राज्य के करेत्तर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं जो चिन्ता का विषय है (तालिका 1.8)। वर्ष 2003-04 में ऋणात्मक वृद्धि देखी गयी थी। वर्ष 2004-05 की करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से वापस प्राप्त अनुदान रूपये 2749.36 करोड़ सम्मिलित हैं। यदि इसे गणना में नहीं लिया जाये तो वृद्धिदर अत्यन्त कम 0.81 प्रतिशत पर है। वन राजस्व में भी स्थिर वृद्धि परिलक्षित है, इसका मुख्य कारण डूब क्षेत्रों में वृक्षों के काटे जाने से उत्पन्न होने वाले काष्ठ का विक्रय है। चूंकि सभी वृहद् सिंचाई परियोजनाएं पूर्णता की ओर है, इस प्रवृत्ति के निरन्तर रहने की संभावनाएं नहीं है। सिंचाई से प्राप्त राजस्व में आंशिक वृद्धि हुई है और यह संधारण व्यय से कम है।

तालिका 1.8
राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(रूपये करोड़ में)

विभाग	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
वन	306.45	497.30	496.75	559.11
सिंचाई	39.15	35.22	45.02	45.23
खनन	528.39	590.69	646.71	733.72
अन्य कर भिन्न राजस्व	727.69	512.27	291.34	3123.80
योग	1601.68	1635.48	1479.82	4461.86

3.8 तालिका 1.8 में उल्लेखित अनुसार कर भिन्न राजस्व की वृद्धि चिन्ता का विषय है। वित्त आयोग ने करेत्तर राजस्वों में प्रति वर्ष 11 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की है। वर्तमान वृद्धि दर के हिसाब से यह अत्यन्त मुश्किल कार्य है। करेत्तर राजस्वों को 11-12 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि इनका मुख्य अंश वनीकरण तथा खनन से प्राप्त होता है जो कि राज्य नीति में नहीं आता है। यहां यह मानना युक्तिसंगत होगा कि करेत्तर राजस्व के क्षेत्र में राज्य 5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है।

3.9 वन के संबंध में राज्य सरकार सदैव भारत सरकार को यह तर्क देती रही है कि जिन राज्यों में वन क्षेत्र का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उनको क्षतिपूर्ति दी जाये। योजना आयोग द्वारा किये गये दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाये। राज्य सरकार इस मामले में सफलता प्राप्त होने तक निरन्तर प्रयास जारी रखेगी। उन राज्यों के लिए जिनमें वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से अधिक है, पर्यावरणीय संरक्षण एक विशिष्ट समस्या है और इन राज्यों को प्रतिकर दिये जाने के बारे में अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। फिर भी राष्ट्रीय औसत के ऊपर वन क्षेत्र रखने वाले राज्यों को क्षतिपूर्ति देने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने तथा उसकी लागत के प्रति, रिट पिटिशन क्रमांक 202/1995) में दिनांक 22.09.2000 और 22.09.2005 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण कदम है। किसी राज्य की वन आवरण सम्बन्धी सीमा तथा उसके संधारण सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश देश में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के 3,08,245 वर्गकिलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से 94,689 वर्ग किलोमीटर (30.7 प्रतिशत) वन क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय औसत

23.57 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। देश के वनक्षेत्र का 12.4 प्रतिशत भाग राज्य संरक्षित करता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

3.10 मध्य प्रदेश जैसे राज्य से यह अपेक्षित है कि बड़े वन क्षेत्र को सुरक्षित रखे और इस वन आवरण को सुरक्षित रखने का व्यय भी वहन करें। वैसे तो ऐसे निवेश पर कोई आमदनी नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य तथा विधिक आज्ञा विदोहन न होकर संरक्षण है। पूरे देश की जनता इससे लाभांविता होती है। न्यायसंगत व्यवस्था यह होगी कि वन संपदा को पूंजी में परिणित करते हुए उसके मूल्य की गणना की जाये, तथा उस पर राज्य को प्रतिफल दिया जाये। स्टाक के पूंजीगत लागत की गणना करने के लिए हाल ही के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (रिट पिटिशन 202/1995) में दिये गये सुझाव अनुसार वन भूमि के प्रति हेक्टेयर रूपये 5.80 लाख से रूपये 9.20 लाख के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी. वी.) को आधार माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय औसत से 22,036 वर्ग किलोमीटर अधिक वनक्षेत्र है। मध्यप्रदेश में लगभग 11,000 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत है, "छोटे-बड़े झाड़ का जंगल" के रूप में वर्गीकृत हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस भूमि को किसी भी विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त लिए बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय औसत से ऊपर का वनक्षेत्र 33,036 वर्गकिलोमीटर है। प्रति हेक्टेयर रूपये 5.80 लाख शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी. वी.) की अवधारणा करते हुए अतिरिक्त वन संपदा का पूंजीगत स्टाक रूपये 1,91,608 करोड़ के बराबर होगा। इस पूंजीगत स्टाक पर रूपये 5748 करोड़ वार्षिक रिटर्न 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर होगा।

3.11 इसी प्रकार की स्थिति खनन के मामले में भी विद्यमान है, जो करेत्तर राजस्व का दूसरा मुख्य स्रोत है। बाजार से अधिकाधिक प्रेरित अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत प्रवेश कर चुका है, कोयले जैसी खनिज सम्पदा की मौजूदगी, राज्य के विकास के लिए उत्प्रेरक होनी चाहिए। यह बिडम्बना है कि कोयला उत्पादित करने वाले राज्य देश के गरीब राज्यों में हैं। यह स्थिति इस क्षेत्र में प्रचलित प्रतिबंधात्मक विधिक व नीति संरचना के कारण है। कोयला उत्पादित राज्य भारत सरकार से रायल्टी के वर्तमान प्रशासन पर विरोध करते रहे हैं तथा मूल्यवर्धित (एडवेलोरम) व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। योजना आयोग तथा वित्त आयोग ने भी क्षतिपूर्ति में वृद्धि की इन मांगों का समर्थन किया है तथापि प्रशासनिक मंत्रालय तथा केन्द्रीय उपक्रम ने हमेशा इस आधार पर कि उपभोक्ता हितों से समझौता करना पड़ेगा, मूल्यवर्धित व्यवस्था के पक्ष में अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

3.12 वर्ष 1991-92 के दौरान जब भारत सरकार ने टनभार पर आधारित रायल्टी की दरें निश्चित की थी, तब एडवेलोरम आधार पर रायल्टी मूल्य का 23.40 प्रतिशत थी। कोयला की कीमत बढ़ाई जाती रही तथा रायल्टी टनभार पर दी जाती रही, रायल्टी की रकम कोयले की कीमत के अनुपात में कम होती गई। यदि रायल्टी की दर भारत सरकार ने एडवेलोरम आधार पर नियत की होती तो मध्यप्रदेश राज्य को कोयले पर रायल्टी से रूपये 8269 करोड़ अधिक प्राप्त होते (वर्ष 1991-92 से विक्रय कीमत के 25 प्रतिशत पर रायल्टी की दर मानते हुए)।

3.13 कोयले पर मूल्य आधारित रायल्टी के अभाव में, पिछड़े क्षेत्रों तथा खनन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विकास के लिए खनिज युक्त भूमि पर कर उद्ग्रहित किया गया है।

इस सम्बन्ध में ग्रामीण अधोसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 पारित किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान रूपये 50 करोड़ की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। उड़ीसा के मामले में, जिसने भी इसी उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम के उपबंधों को नकार दिया है, अब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार उपकर की उगाही में अनिश्चितता बनी हुई है। राज्य को मूल्य आधारित कोयला रायल्टी की मांग को जारी रखना होगा।

सिंचाई से प्राप्तियां

बारहवें वित्त आयोग ने मत व्यक्त किया है कि देश भर में सिंचाई से प्राप्तियां बहुत कम हैं। लागत वसूली की उच्चतर दर के बिना सिंचाई प्रणाली का संधारण गंभीर रूप से प्रभावित होगा। तदनुसार, सिंचाई प्राप्तियों के निर्धारण में वर्ष 2005-06 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2006-07 में 60 प्रतिशत, 2007-08 में 70 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में 80 प्रतिशत तथा 2009-10 में 90 प्रतिशत संधारण लागत की वसूली वृद्ध, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित है। मध्य प्रदेश में सिंचाई से राजस्व प्राप्तियां संधारण व्यय का 30 प्रतिशत हैं।

3.14 करेत्तर राजस्वों में वृद्धि सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में उपभोक्ता प्रभारों के साथ जुड़ी है। स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्था द्वारा ऐसे उपभोक्ता प्रभारों का बेहतर संग्रहण राज्य बजट में अनुदान के दबाव को कम करेगा। सामान्यतः उपभोक्ता प्रभार करेत्तर राजस्वों का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उपभोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। अब जब विद्युत की कीमत निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है राज्य सरकार को अन्य उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए। इसी के अनुरूप ही ऐसे कई अनुज्ञप्ति शुल्क, आवेदन शुल्क तथा अन्य प्रभार हैं, जो पूर्व में नियत किये गये हैं किन्तु कभी उनका पुनरीक्षण नहीं किया गया है। अतिरिक्त राजस्व हेतु इस पर नये सिरे से विचार करना होगा।

व्यय

3.15 लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में लोक व्यय की सार्थकता के महत्वपूर्ण मापदण्ड लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता है। लोक व्यय को आयोजना तथा आयोजनेत्तर मदों में विभाजित किया जाता है। साधारणतया यह समझा जाता है कि आयोजना व्यय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाता है। आयोजना तथा आयोजनेत्तर भिन्नता के सम्बन्ध में कई वर्गों से प्रश्न उठाये जा रहे हैं किन्तु आज भी इस भिन्नता की मान्यता है। आयोजनागत योजनाओं (प्लान स्कीम) की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है ताकि योजनाओं की सामयिक सार्थकता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक पांच वर्ष के अंत में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का आवर्ती व्यय, आयोजनेत्तर व्यय में अंतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2005-06 में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मरम्मत तथा भवन मरम्मत की कतिपय निरंतर स्वरूप की योजनाओं की राशि रूपये 345 करोड़ को आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में अंतरित किया गया है। आगामी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए यह प्रयास पुनः किया जायेगा।

3.16 आयोजना व्यय 16.02 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। (तालिका 1.9) ऊर्जा अनुदान को वर्ष 2002-03 में आयोजना मद में वर्गीकृत करने के कारण वर्ष 2003-04 में आयोजना व्यय में पूर्ववर्ती वर्ष 2002-03 के आयोजना राजस्व व्यय की तुलना में कमी हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि आयोजना व्यय विकास को शुरू करने के लिए होता है और आयोजनेत्तर व्यय उस गतिविधि को बनाये रखने के लिए है। इस मूल भिन्नता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय में एक उचित समन्वय रखा जाये।

तालिका 1.9
आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आयोजना	वृद्धि प्रतिशत	आयोजनेत्तर	वृद्धि प्रतिशत	कुल व्यय में से आयोजना व्यय का प्रतिशत
2001-02	4311.35	—	12126.65	—	26.23
2002-03	6433.20	49.22	11062.20	-8.78	36.77
2003-04	5684.73	-11.63	15962.99	44.30	26.26
2004-05	7269.38	27.18	19018.84	19.14	27.65
मिश्रित वृद्धि दर		19.02		16.18	

3.17 लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है जो लोक आस्तियों के निर्माण के माध्यम से निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। चूंकि राज्य सरकारों को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। वर्ष 2003-04 की तुलना में 2004-05 के दौरान आयोजना पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की देनदारियां सम्मिलित नहीं हैं।

3.18 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वह क्षेत्र है जिस पर राज्य सरकार अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है और उसको नियंत्रित करने का रास्ता निकाल रही है। राजस्व व्यय को वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और अनुदान में वर्गीकृत किया जाता है (तालिका 1.10)। वर्ष 2004-05 के दौरान आयोजनेत्तर मद में वेतन भुगतान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का करीब 36 प्रतिशत रहा है और इसमें 8.57 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। मुख्यतः भर्ती पर प्रतिबंध तथा केन्द्र सरकार की तुलना में मंहगाई भत्ते की कम दरों के माध्यम से वेतन पर व्यय नियंत्रित किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अध्यापकों, डाक्टरों तथा पैरामेडिकल कर्मचारीवृन्द के वेतन राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं, तथापि विकास संभावनाओं को देखते हुए इस व्यय को अनुत्पादक व्यय के रूप में नहीं समझा जा सकता। कम मंहगाई राहत के बावजूद पेंशन व्यय 9.58 प्रतिशत के स्थिर दर पर बढ़ा है। इसका मुख्य कारण अधिक कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना तथा औसत आयु में वृद्धि होना है। ब्याज भुगतान भी 17.56 प्रतिशत की स्थिर दर से बढ़ा है, किन्तु ऋण की अदला बदली के कारण ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में धीमी गति से बढ़ा है। ऊर्जा अनुदान में वर्ष 2003-04

में भारी वृद्धि देखे जाने की मुख्य वजह केन्द्रीय उपक्रमों के शोध्यों के संदाय हेतु मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को रूपये 2749.36 करोड़ का एकमुश्त अनुदान दिया जाना है। राज्य सरकार ने रूपये 500 करोड़ का भुगतान भी 1 जनवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2003 की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र के ऊर्जा बिलों को माफ किये जाने के कारण किया है। ऊर्जा अनुदान को सम्भालने की आवश्यकता है।

तालिका 1.10
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की संरचना

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	वृद्धि दर (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय जिसमें -	11852.71	11039.50	15944.58	14861.20	7.83
वेतन	4180.58	4561.81	4423.12	5349.79	8.57
पेंशन	1010.76	1082.67	1197.26	1329.89	9.58
ब्याज	2253.67	2502.31	3206.50	3661.14	17.56
सब्सिडी	2775.47	1386.85	4982.91	2840.03	0.77
ऊर्जा	1999.06	70.00	3662.29	1424.55	-10.68
नगरीय प्रशासन	389.49	437.20	636.29	737.15	23.70
अन्य सब्सिडी	746.34	1204.95	1226.52	1336.00	21.42
अन्य	1632.23	1505.86	2134.79	1680.35	0.97

3.19 नगरीय निकायों को देय अनुदान को कर संग्रहण दक्षता के साथ अनुदान को जोड़ने वाली पुरस्कार स्कीम के माध्यम से सीमित करना आवश्यक है। 12वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99 में हमारे राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों के कर राजस्व का कुल राजस्व से अनुपात राष्ट्रीय औसत 41 प्रतिशत की तुलना में 37 प्रतिशत था। यह अनुपात वर्ष 2002-03 में आंशिक रूप से बढ़कर 38 प्रतिशत हुआ है किन्तु अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। ग्रामीण स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रखने के लिये मध्य प्रदेश राज्य ने विस्तृत कराधान शक्तियां सौंपी है। इस प्रकार वर्ष 2002-03 में स्थानीय कर राजस्व का कुल राजस्व से अनुपात 32 प्रतिशत था, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 12वें वित्त आयोग की स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अनुशंसाएं, स्थानीय निकायों को संसाधन वितरण तथा संसाधन बढ़ाने की नीतियां बनाते समय विचार में लेना होगा।

लोक ऋण

3.20 बढ़ता लोक ऋण केवल संवहनीयता (Sustainability) का प्रश्न नहीं है अपितु यह पीढ़ियों के बीच साम्यता का प्रश्न उठाता है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति में राज्य का सकल लोक ऋण रूपये 47,128.53 करोड़ अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.57 प्रतिशत आयेगा। सकल लोक ऋण की संरचना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :-

तालिका 1.11
राज्य ऋण की संरचना

(रूपये करोड़ में)

स्रोत / वर्ष	31.3.2004 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2005 की स्थिति (पु. अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2006 की स्थिति (बजट अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बाजार से उधार	7848.46	22.64	9321.16	22.54	10111.57	21.46
केन्द्र	9208.75	26.56	9292.80	22.47	11009.09	23.36
वित्तीय संस्था	4389.86	12.66	6165.59	14.91	6645.12	14.10
अल्प बचत	6363.57	18.35	9133.57	22.08	11797.12	25.03
अन्य	6861.33	19.79	7446.38	18.00	7565.63	16.05
योग	34671.97	100.00	41359.50	100.00	47128.53	100.00

3.21 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि दिनांक 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा दिनांक 31.03.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋण समेकित किया जाये और उसे 20 वर्षों के लिए पुनः निर्धारित किया जाये, फलस्वरूप इस ऋण को 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाये। 31 मार्च 2005 में केन्द्र सरकार के प्रति बकाया ऋण रूपये 9292.80 करोड़ था। यह राज्य के कुल ऋण के स्टाक का 22.47 प्रतिशत के लगभग है और यह ऋण अन्य स्रोतों की तुलना में अत्यधिक महंगा है। दिनांक 31.3.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋण पर औसत ब्याज दर 11.8 प्रतिशत निकलती है। औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत तक कम करने से मध्यप्रदेश को पर्याप्त राहत मिलेगी। ऋण को समेकित करने में, वित्त आयोग ने, वर्ष 2004-05 में केन्द्र द्वारा मंजूर किए जाने वाले नये उधारों को ऋण लेखों में सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं था। तथापि केन्द्र सरकार ने राज्यों को दिये गये ऋण पर ब्याज की दर कम करके 2004-05 में 10.5 प्रतिशत से घटा कर 9 प्रतिशत कर दी है। यह सामान्य ऋण राहत जिसमें समेकन, पुनः निर्धारण करना और ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत तक कम करना सम्मिलित है, उन राज्यों को उस समय मिलेगी जबकि उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बना लिया हो। रूपये 7256 करोड़ की राशि को, इस स्कीम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिये पुनः सूचीबद्ध किया गया है। पांच वर्ष में ऋण के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के संबंध में कुल बचत रूपये 1927.60 करोड़ अनुमानित है।

3.22 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एक स्कीम "राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा" (डी सी आर एफ) 2005-06 से 2009-10 बनायी है। मध्यप्रदेश राज्य ने माह अगस्त, 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित किया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील है। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

- वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना।
- वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम करना।
- मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण, जो विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा, के माध्यम से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वार्षिक कमी लाना।

- राज्य की अर्थ व्यवस्था और राजकोषीय नीति युक्ति विवरण के संबंध में संभावनाओं को दर्शाते हुए वार्षिक विवरण को प्रकाशित करना।
- सरकारी, पब्लिक सेक्टर तथा सहायता पाने वाली संस्थाओं में नियोजित कर्मचारियों की संख्या और उनसे संबंधित वेतन के विस्तृत विवरण को दर्शाते हुए बजट के साथ विशिष्ट रिपोर्ट्स को प्रकाशित करना।

3.23 अधिनियम द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राजकोषीय सुधार पथ बनाया गया है। राजकोषीय संघीय ढांचे को दृष्टि में रखते हुए केन्द्र और राज्य दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा ही राजकोषीय सुधार पथ पर चलने में सफलता मिलेगी।

3.24 अधिनियम द्वारा यह अपेक्षित है कि वर्ष 2008-09 तक राजस्व कोष को आधिक्य में लाया जाए। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को वर्ष 2008-09 तक 3 प्रतिशत के भीतर सीमित करने की शर्त के कारण पूंजीगत व्यय बढ़ाने के प्रयास में राज्य को कठिनाई होगी। विकास के परिप्रेक्ष्य में राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को तीन प्रतिशत सीमा के भीतर लाने के लक्ष्य की पूर्ति के मध्य पर्याप्त अंतराल दिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने डी. सी. आर. एफ. के निर्देश को मानते हुए राजकोषीय घाटे की शर्त अधिनियम में रखी है। यहां यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने का काम राज्य सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर है।

ऋण अदला-बदली

3.25 केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण की औसत कीमत को कम करने और अर्थव्यवस्था में घटते हुए ब्याज दर का फायदा उठाते हुए, विभिन्न ऋण अदला-बदली के कारण वर्ष 2005-06 में मध्यप्रदेश के लिए ऋण की औसत लागत वर्ष 2004-05 के 8.93 प्रतिशत से घटकर 8.07 प्रतिशत हो जायेगी। वर्ष 2002-03 में रूपये 587.55 करोड़ के ऋण की, जिनको भारत सरकार को 14.5 प्रतिशत पर वापस किया जाना था, अदला-बदली कर दी गई। वर्ष 2003-04 में ऋण राशि रूपये 1507 करोड़, 14.5 प्रतिशत से 13.00 प्रतिशत की ब्याज श्रेणी में अदला-बदली की गई। इसी तरह वर्ष 2004-05 में रूपये 732 करोड़ के नाबार्ड ऋण की भी अदला-बदली की गई। इस प्रक्रिया के द्वारा इन तीन वर्षों में लगभग 225 करोड़ की ब्याज राहत मिली है, यह राहत पुनः संदाय की समय-सारणी के आधार पर धीरे-धीरे घटती जायेगी।

ऋण बट्टे खाते (राइट ऑफ) में डालने की योजना

3.26 जैसा कि पहले वर्णित है, डी सी आर एफ योजना में राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर बट्टा खाता की व्यवस्था है। इस राहत को राज्यों के राजस्व घाटे की कमी से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 31.03.2004 तक अनुबंधित और समेकित किये गये केन्द्रीय ऋणों की वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक देय वापसी, अदायगियां, बट्टे खाते में डालने के लिए पात्र होंगी। वापसी, अदायगियों की बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की मात्रा उस पूरी राशि से सम्बद्ध होगी जिसमें राजस्व घाटा अवार्ड अवधि के दौरान लगातार हर वर्ष कम किया

जायेगा। वस्तुतः यदि राजस्व घाटा शून्य पर आ जाता है तो वर्ष के दौरान समस्त वापसी, अदागियां बट्टे खाते में डाल दी जायेगी। बट्टे खाते में डालने की योजना तभी लागू होगी जब से वे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित कर चुके होंगे।

3.27 राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को देखते हुए 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बट्टे खाते का लाभ तभी प्रदान किया जायेगा, यदि राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर तक सीमित रखा जायेगा। यदि किसी वर्ष में राजकोषीय घाटा इस स्तर को पार कर जाता है तो अन्यथा पात्र होने के बावजूद बट्टे खाते में डालने का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। यदि राज्य राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो मध्यप्रदेश को आगामी पांच वर्षों में रुपये 1815 करोड़ से ऊपर की राशि के ऋण बट्टे खाते में डालने का लाभ मिलेगा।

3.28 वित्त आयोग ने कुछ राजकोषीय उपायों का सुझाव दिया है, जो न केवल ऋण राहत लाभों को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विकास की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान करने के लिये भी अत्यावश्यक है। आयोजना के लिए बाजार से ऋण लेने की आवश्यकता के कारण ये राजकोषीय उपाय अधिक महत्व के हैं। राजकोषीय सुधारों के अभाव में राज्य के लिये बाजार से आयोजना हेतु ऋण उठाना संभव नहीं हो सकेगा। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 सरकार को उसके द्वारा उद्घोषित किए गए राजकोषीय उपायों के लिये आबद्ध करता है। वित्त आयोग द्वारा सुझाए, निम्न लिखित राजकोषीय उपाय मध्यकालिक राजकोषीय नीति बनाते समय उपयोगी होंगे :-

- (i) राज्य का स्वयं का कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का 6.8 प्रतिशत होना चाहिए। वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य का कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 7.1 था और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए इस अनुपात की वृद्धि करना आवश्यक है।
- (ii) करेत्तर राजस्व में 11 प्रतिशत वार्षिक तक की वृद्धि होना चाहिए, किन्तु यह मुश्किल काम है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। यही कारण है कि कर-राजस्व में वित्त आयोग द्वारा विहित स्तर से उच्चतर स्तर तक वृद्धि करना आवश्यक है।
- (iii) वर्ष 2009-10 तक राज्य की स्वयं की कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 13.2 प्रतिशत तक पहुंच जायेंगी। वर्ष 2004-05 के दौरान, यह अनुपात 11.10 प्रतिशत था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेत्तर राजस्व में अभिवृद्धि की जाना आवश्यक है। खनन भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने का विधान इस दिशा में एक कदम है। निवेश की गई पूंजी पर समुचित आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता प्रभारों की समीक्षा आवश्यक है।
- (iv) ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। वर्ष 2004-05 के दौरान यह अनुपात 17 प्रतिशत से ज्यादा था। ब्याज का भुगतान ऋण स्टाक, ऋण संविभाग (पोर्टफोलियो) और ब्याज की दर पर निर्भर है।

4. संभावनाएं

4.1 मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था मानसून के प्रति अति संवेदनशील है। वर्ष 2003-04 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 20.34 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई थी। यह अप्रत्याशित वृद्धि वर्ष 2002-03 में सूखे का कारण थी। वर्ष 2004-05 के लिए प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद का त्वरित अनुमान प्रचलित मूल्य पर रूपये 1,03,056.74 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 5.03 प्रतिशत सामान्य रूप से हुई। कृषि में 0.60 प्रतिशत की गिरावट थी, उद्योग में 10.13 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 7.27 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि थी। यद्यपि वर्ष 2004-05 में सूखा नहीं पड़ा था परंतु समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से वर्षा के उचित वितरण न होने के कारण कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। परंतु वर्ष 2005-06 खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्य वाणिज्यिक फसल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की जानकारी है। वर्ष 2005-06 में उद्योग क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसका लाभ आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के रूप में प्राप्त होने की आशा है। वर्ष 2004-05 में सिंचाई हेतु योजना परिव्यय रूपये 1652 करोड़ था जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर रूपये 1758 करोड़ हो गया। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में इस हेतु रूपये 1910 करोड़ प्रावधानित किए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में राज्य ने 3.40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की है और वर्ष 2005-06 में 1.38 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जा रही है। वर्ष 2003-04 में योजना पूंजीगत परिव्यय रूपये 2672.65 करोड़ था जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर रूपये 4491.27 करोड़ हो गया। इस प्रकार भौतिक अधोसंरचना में सुधार और राज्य में निवेश के वातावरण में उल्लेखनीय सुधार के कारण अर्थ व्यवस्था में सामान्य वृद्धि अनुमानित है।

4.2 वर्ष 2004-05 के लिए स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमान रूपये 7797.20 करोड़ की तुलना में वास्तविक संग्रहण रूपये 7769.91 करोड़ है और इस तरह लक्ष्य की 99.65 प्रतिशत प्राप्ति हुई है। इसी तरह वर्ष 2005-06 के लिए पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार स्वयं के कर राजस्व का बजट में नियत लक्ष्य प्राप्त होने का अनुमान है। अतः यह मानना उचित होगा कि वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे।

ख. सिलेक्ट राजकोषीय सूचकों में रुख

(रूपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत
		2004-05	2005-06 (पु.अ.)	2006-07 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	19743.25	21344.41	23480.19	8.11	10.01
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	12849.65	15310.67	17044.63	19.15	11.33
2.1	राज्य कर	7769.91	8933.34	10029.46	14.97	12.27
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	5079.74	6377.33	7015.17	25.54	10.00

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत
		2004-05	2005-06 (पु.अ.)	2006-07 (व.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	करेतर राजस्व	4461.86	2239.16	2059.08	-49.82	-8.04
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	2431.74	3794.58	4376.48	56.04	15.34
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	6504.54	7271.34	5137.52	11.79	-29.35
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	53.20	2796.04	43.69	5155.71	-98.44
7	शुद्ध लोक ऋण	5457.62	4565.69	5169.58	-16.34	13.23
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	993.72	-90.39	-75.75	-109.10	-16.20
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	26247.79	28615.75	28617.71	9.02	0.01
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	18026.38	21369.90	22509.97	18.55	5.33
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	14861.20	16563.71	17347.08	11.46	4.73
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	3165.18	4806.19	5162.89	51.85	7.42
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज भुगतान	3661.14	3685.97	4145.03	0.68	12.45
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	4676.65	6731.72	6063.78	43.94	-9.92
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	6090.16	6376.01	7040.42	4.69	10.42
10.3.4	पेंशन संदाय	1329.89	1548.07	1766.37	16.41	14.10
11	पूंजीगत व्यय (11.1+11.2)	4950.98	6852.95	5168.54	38.42	-24.58
11.1	आयोजनेतर पूंजीगत व्यय	1382.99	2361.68	383.46	70.77	-83.76
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	3567.99	4491.27	4785.08	25.88	6.54
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3310.86	686.50	719.04	-79.27	4.74
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	2774.65	378.44	269.27	-86.36	-28.85
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	536.21	308.06	449.77	-42.55	46.00
13	कुल व्यय	26288.22	28909.35	28397.55	9.97	-1.77
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	19018.84	19303.83	17999.81	1.50	-6.76
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	7269.38	9605.52	10397.74	32.14	8.25
14	राजस्व घाटा (1-10)	1716.87	-25.49	970.22	-101.48	-3906.28
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-6491.77	-4768.90	-4873.67	-26.54	2.20
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	-2830.63	-1082.93	-728.64	-61.74	-32.72

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2004-05	पुनरीक्षित अनुमान 2005-06	बजट अनुमान 2006-07	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2007-08	2008-09	2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	1.67 *	-0.02	0.77	1.06	1.36	1.69
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	-6.30	-4.21	-3.87	-3.44	-3.00	-2.54
3.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	50.09	52.35	52.19	50.96	49.43	47.59

* - वर्ष 2004-05 में राजस्व आधिक्य रूपये 1716.87 करोड़ था यह मुख्यतः मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा राज्य शासन को अनुदान रूपये 2749.36 करोड़ लौटाये जाने के फलस्वरूप हुआ। इस वजह से करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई। यदि इस प्राप्ति को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो राजस्व घाटा रूपये 1032.49 करोड़ होगा।

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियां : राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व सम्मिलित है। दोनों ही प्रकार के करों का एक हिस्सा केन्द्र से प्राप्त होता है।

(क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य का कर राजस्व तथा केन्द्रीय कर का हस्तांतरण सम्मिलित है। वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय कर का हस्तांतरण, केन्द्र सरकार के बजट पर आधारित है। आगामी वर्ष की गणना चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के कर राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर की गई है। आगामी वर्षों में 12वें वित्त आयोग के पूर्वानुमानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के लिए राज्य का कर राजस्व रूपये 10,029.46 करोड़, सम्बन्धित कर संग्रहित करने वाले विभागों के आंकलन पर आधारित है। आगामी वर्षों में इसमें वर्ष 2006-07 के बजट प्राक्कलनों से 13.5 प्रतिशत की दर से कर वृद्धि होना माना गया है।

(ख) करेत्तर राजस्व – करेत्तर राजस्व में राज्य का करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र के आयोजना तथा आयोनेत्तर अनुदान आते हैं। राज्य का करेत्तर राजस्व वर्ष 2006–07 (बजट अनुमान) के लिए प्रशासकीय विभागों से परामर्श उपरांत रूपये 2,059.08 करोड़ अनुमानित है तथा वर्ष 2006–07 के आधार वर्ष से 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। आयोजना सम्बन्धी अनुदान वर्ष 2006–07 के आधार वर्ष से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ना अनुमानित है। आयोजनेत्तर अनुदानों में 12वें वित्त आयोग के विशिष्ट अनुदान सम्मिलित हैं, जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

(ग) स्थानीय निकायों को समुनदेशन – इसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों को 12वें वित्त आयोग के अनुदान तथा वे अनुदान आते हैं जिनकी अनुशंसा द्वितीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई है। तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन हाल में किया जा चुका है तथा आयोग की अनुशंसाएं अपेक्षित है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा – कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2005–06 (पुनरीक्षित अनुमान) में 41.85 प्रतिशत है और इसके वर्ष 2009–10 तक 44.09 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है।

(ङ) कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के करेत्तर राजस्व का हिस्सा – कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2005–06 (पुनरीक्षित अनुमान) में 10.49 प्रतिशत है तथा वर्ष 2009–10 तक 7.17 प्रतिशत होने की संभावना है। यह अनुपात नीचे आ रहा है क्योंकि कर राजस्व की वृद्धि करेत्तर राजस्व की अपेक्षा उच्चतर दर से हो रही है।

2. पूंजीगत प्राप्तियां – वर्ष 2008–09 तक अभिप्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कुल ऋण उद्भूत किया जाता है जैसा कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अपेक्षित है। क्योंकि ऋण एकीकरण एवं सहायता सुविधा (डी सी आर एफ) योजना की शर्तों को राज्य पूरा करेगा, इसलिए राज्य ऋण समेकन और ऋण राहत सहायता के लाभ पर विचार किया गया है। इस कालावधि के दौरान समस्त देय पुनर्भुगतानों को हिसाब में लिया गया है। नवीन उधारों का पोर्टफोलियो वार्षिक आधार पर निकाला जायेगा जो विभिन्न साधनों तथा ब्याज दर की उपलब्धता पर आधारित है।

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम – 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 से चल रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई ए पी) को छोड़कर राज्य को उधार देना बंद कर दिया है और इस प्रकार आने वाले वर्षों में केन्द्र से उधार एवं अग्रिम केवल पहले से क्रियान्वित बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए ही प्राप्त होगा।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन एस एस एफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां – वर्तमान में एन.एस.एस.एफ. वित्त व्यवस्था का खर्चीला स्रोत है परंतु आयोजना व्यय के योजना

वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य स्रोतों से निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एन. एस. एफ. का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जायेगा।

(ग) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली – वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार रुपये 3756.55 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। शेष रहे उधार तथा अग्रिमों की वसूली की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों के आधार पर 25 प्रतिशत अनुमानित है।

(घ) वित्तीय संस्थाओं से उधार – नाबार्ड, हुडको, एल आई सी, जैसे अन्य संस्थाओं से लिये जाने वाले उधार परियोजना आधारित है और समग्र उधार कार्यक्रम का भाग है। नाबार्ड सहायता का स्रोत अपेक्षाकृत सस्ता है, अतः राज्य द्वारा इन स्रोतों के उपयोग को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

(ङ) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) – भविष्य निधि आदि – यह राज्य की संचित निधि से बाहर के लोक लेखे से उधारी का एक स्रोत है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों में कमी को दूर करने के लिए किया जायेगा। जहां अन्य स्रोतों से उधार की उपलब्धता तथा राजकोषीय घाटे के मापदण्ड के भीतर पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता के बीच अंतर होगा, वहां लोक लेखे से उधार का उपयोग किया जायेगा। तथापि वर्ष 2007–08 और उसके आगे इन प्राप्तियों के शून्य होने का अनुमान है।

(च) बकाया दायित्व – आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व – वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार मार्च 2006 की समाप्ति पर सकल ऋण रुपये 45,652.72 करोड़ है तथा मार्च, 2007 तक रुपये 50,887.29 करोड़ होना अनुमानित है। सकल ऋण 7.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ता जायेगा। वर्ष 2005–06 के लिए कुल प्रत्याभूति रुपये 13692 करोड़ है और इसमें 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये प्रत्याभूतियां, अधिनियम द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अधीन हो।

3. कुल व्यय – कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेत्तर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2007–08 और आगामी वर्षों में आयोजना राजस्व व्यय में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशिष्ट अनुदान के विरुद्ध व्यय तथा ब्याज राहत को सम्मिलित करने पर आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा – राजस्व लेखा के अन्तर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान है।

(एक) ब्याज संदाय – वर्ष 2006–07 में उधार लिए जाने वाले ऋण की औसत लागत अनुमानित 8.64 प्रतिशत है, तथा इसी आधार पर प्रक्षेप (Projections) किये गये हैं।

(दो) मुख्य सहायकी (सब्सिडी) – समान्य अनुदान पर 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इसमें वर्ष 2005–06 के ऊर्जा (विद्युत) अनुदान में एकमुश्त भुगतान रूपये 1320 करोड़ सम्मिलित है। इसलिए वर्ष 2006–07 के लिए ऊर्जा अनुदान अपेक्षाकृत कम है। बाद के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र की सब्सिडी का युक्तियुक्तकरण करते हुए इसे अन्य सब्सिडी में समाहित किया जायेगा।

(तीन) वेतन – वर्ष 2007–08 और उसके आगे वेतन 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

(चार) पेंशन – वर्ष 2007–08 और उससे आगे पेंशन की वृद्धि दर 9.66 प्रतिशत होगी।

(ख) पूंजीगत लेखा –

(एक) उधार तथा अग्रिम – उधार तथा अग्रिम 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है।

(दो) पूंजीगत परिव्यय – पूंजीगत व्यय प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

(4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) वृद्धि – जैसा कि पूर्व में वर्णित है, कि जी. एस. डी. पी. में बदलाव राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। यह राज्य की कर योग्य क्षमता निर्धारित करता है तथा आगे जाकर बजट के आकार को निश्चित करता है। राजकोषीय प्रदर्शन के तुलनात्मक आंकलन करने में सभी राजकोषीय माप जी एस डी पी के अनुपात के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। डी. सी. आर. एफ. के मार्गनिर्देशिका के अनुसार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष लेने पर 12 प्रतिशत की वृद्धि दर मानकर जी एस डी पी का पूर्वानुमान करना चाहिए। वर्ष 2004–05 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर रूपये 1,00,521 करोड़ था। वर्ष 2004–05 के त्वरित अनुमान के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद नाममात्र (Nominal) मूल्य पर रूपये 1,03,056 करोड़ था। अतः योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए त्वरित अनुमान के आधार पर वर्ष 2004–05 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित किया जाना प्रस्तावित है। ऋण समेकन और राहत सुविधा की मार्गदर्शिका द्वारा अनुशंसित 12 प्रतिशत वृद्धि दर अधिक प्रतीत होती है इसलिए यह माना गया है कि वर्ष 2005–06 के लिए जी एस डी पी की वास्तविक वृद्धि दर 10 प्रतिशत होगी तथा शेष 4 वर्षों के लिए 11 प्रतिशत होगी इन वर्षों के लिए थोड़ी उंची दर इसलिए मानी गई है क्योंकि वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में किए गए अधिक पूंजीगत व्यय के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में उंची दर से वृद्धि होने की आशा है।

(ग) संवहनीयता का निर्धारण (Assessment of sustainability)

(1) समान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशिष्टतः राज्य की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्ययों के बीच सन्तुलन अधिनियम में विचारित राजस्व घाटा तथा राज्यकोषीय घाटा लक्ष्य को प्राप्त

करने के लिये यह आवश्यक है कि सामान्यतः कुल व्यय और विशिष्टतः राजस्व व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2005-06 में कर एवं जी एस डी पी अनुपात 13.5 प्रतिशत है और इसके वर्ष 2009-10 तक 14.73 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। राज्य के स्वयं के कर एवं जी. एस. डी. पी. का अनुपात 7.88 प्रतिशत है और यह अंतिम वर्ष में 8.52 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी एस डी पी से अनुपात 5.62 प्रतिशत है तथा यह अंतिम वर्ष में 6.21 प्रतिशत तक पहुंच जावेगा। करेत्तर राजस्वों में वृद्धि करने के लिए उपभेक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी ताकि उन्हें संवहनीय बनाया जाए। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि 9 प्रतिशत के भीतर सीमित की जावेगी तथा विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजना राजस्व व्यय में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि तक सीमित की जायेगी। वेतन तथा पेंशन राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इस व्यय में वेतन के मामले में 7.5 प्रतिशत तथा पेंशन के मामले में 9.66 प्रतिशत से अधिक दर से वृद्धि नहीं होना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र पर दिये जा रहे अनुदान को व्यवहारिक स्तर पर रखना होगा। ऋण समकेन और राहत सुविधा ने व्याज राहत प्रदान की है और आगामी उधार सोच समझकर प्राप्त करना होगा जिससे व्याज भुगतान को और नीचे लाया जा सके। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के कारण पूंजीगत व्यय सीमित हो रहा है। कुल दायित्वों को अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा के भीतर रखा जायेगा। डी.सी.आर.एफ. ने जी एस डी पी के लिए 12 प्रतिशत वृद्धि दर मानी है। इस विवरण में वर्ष 2005-06 में 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा शेष चार वर्षों के दौरान 11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 1993-94 से 2003-04 के दौरान जी एस डी पी की वार्षिक दर 9.07 प्रतिशत प्रचलित मूल्यों पर बढ़ी है (ट्रेण्ड लाईन के उपयोग से गणित)। अतः यह युक्तिसंगत है कि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के अवधि के दौरान 10 प्रतिशत सामान्य वृद्धि हो। तथापि ये अनुमान मानसून विपरीत रहने से प्रभावित हो सकते हैं।

(2) उत्पादक अस्तियों के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से उधार भी आते हैं। यद्यपि वर्ष 2006-07 तक राज्य अपना राजस्व आधिक्य कर लेगा तथा सभी पूंजीगत प्राप्तियां सरकारी प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों के निर्माण में प्रयुक्त होगी। आगामी बजट में सिंचाई, ऊर्जा तथा सड़क एवं पुल के आयोजना परिव्यय क्रमशः रूपये 1908 करोड़, रूपये 1233 करोड़ एवं रूपये 990 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

(3) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन का दायित्व निम्नानुसार है। उक्त गणना विगत तीन वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर है।

पेंशन का दायित्व

वर्ष	रूपये करोड़ में
1998-99	843.95
1999-00	882.88
2000-01	855.89
2001-02	1010.75
2002-03	1082.67
2003-04	1197.26
2004-05	1329.89
2005-06	1548.07
2006-07	1766.37
2007-08	1937.00
2008-09	2124.12
2009-10	2329.31
2010-11	2554.32
2011-12	2801.06
2012-13	3071.65
2013-14	3368.37
2014-15	3693.75
2015-16	4050.57

वर्ष 1998-99 से वर्ष 2004-05 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2005-06 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2006-07 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं। वर्ष 2007-08 से दिये गए आंकड़ों का आधार 9.66 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के अनुसार अनुमानित है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति – विस्तृत विचार :** राज्य की राजकोषीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पांचवे वेतन आयोग के क्रियान्वयन एवं आर्थिक मंदी के कारण निर्मित राजकोषीय दबाव अब कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मुख्य कारण कर वसूली में सुधार एवं ब्याज दरों में कमी है। अर्थव्यवस्था में राजकोषीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2005-06 में 25.55 प्रतिशत की वृद्धि (राज्य विद्युत मण्डल को वर्ष 2004-05 की करेत्तर राजस्व की स्थानांतरित राशि के समायोजन पश्चात्) अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2004-05 में 14.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में 14.97 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य विद्युत मण्डल को वर्ष 2003-04 की आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की स्थानांतरित राशि के समायोजन पश्चात् आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वर्ष 2004-05 में 12.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें 11.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। इन राजकोषीय उपायों के तहत राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2003-04 में रूपये 1726.04 करोड़ से घटकर वर्ष 2004-05 में रूपये 1032.49 करोड़ एवं वर्ष 2005-06 में मात्र रूपये 25.49 करोड़ रह जाने का अनुमान है।
- (2) **आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति :** चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा जिसमें राजस्व आय में वृद्धि एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में कमी की जावेगी।
- 2.1 कर नीति :** शासन का प्रयत्न रहेगा कि विकास के संवेग को कम किए बिना राजस्व प्राप्ति में वृद्धि की जाए। शासन की मंशा है कि वृहद कर सुधार नीति अपनाये, ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन कराया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। विक्रय कर के संबंध में एक अप्रैल, 2006 से शासन मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू करने जा रहा है। अन्य करों के संबंध में शासन एक ऐसी कर प्रणाली की ओर अग्रसर है जिसमें विस्तृत आधार पर संयमित दरें एवं कर छूट का युक्तियुक्तकरण सम्मिलित हो। राज्य शासन विभागों की कर संकलन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग करेगा।

2.2 व्यय नीति : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हो यह आवश्यक नहीं है। व्यय के पैटर्न में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे व्ययित धनराशि से अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। क्रियान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने एवं वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जावेगी जिससे मुख्य कार्यक्रमों के परिणाम को मापा जा सके। प्रशासकीय विभागों द्वारा शासकीय धन के व्यय संबंधित निर्णय निधारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक पारदर्शी तरीके से लिये जायेंगे। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जावेगा। पूर्व वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही कराई जायेगी। त्वरित निराकरण एवं परिपालन हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अब संभागीय आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जावेगी। आगामी वर्ष में भी व्यय के कतिपय मदों में बचत के उपाय लागू किये जायेंगे। आधिक्य कर्मचारियों के युक्तियुक्तकरण किए जाने से भी व्यय में कमी लायी जा सकेगी।

2.3 ऋण एवं आकस्मिक दायित्व : मध्यमकालीन राजकोषीय नीति द्वारा 2006-07 के पश्चात् राजस्व आधिक्य के पूर्वानुमान दर्शाये गये हैं। उक्त पूर्वानुमानों के आधार पर शासन की ऋण पर निर्भरता में कमी लायी जावेगी। ऋण के स्तर को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जावेगा। आकस्मिक दायित्वों का युक्तियुक्तकरण किया जावेगा। गारंटी विमोचन निधि निर्मित की गई है। गारंटी से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जावेगा। आकस्मिक दायित्वों के भुगतान हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किए जायेंगे।

(3) आगामी वर्ष के लिए कार्यनीति प्राथमिकतायें :

3.1 शासन की योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) का उचित एवं सरल क्रियान्वयन एवं वर्तमान कर प्रणाली को कुशल बनाना भी है। शासन परिवहन क्षेत्र में करारोपण की संभावना पर भी विचार कर रहा है। यह कम्प्यूटराइज्ड अन्तरराज्यीय चेक पोस्ट एवं अन्य सूचना तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है।

3.2 व्यय की दृष्टि से परिणाम का औचित्य मापना एक प्राथमिकता है। शासन सभी अन्त्योदय योजनाओं के लिए वांछित राशि उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अनुत्पादक व्ययों को रोकने के लिए वित्तीय प्रतिबंध जारी रहेगा।

3.3 लोक ऋण प्रबंधन अधिनियम द्वारा निश्चित राजकोषीय मापदण्डों एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों पर ब्याज दर को दृष्टिगत रखते हुए लोक ऋण प्रबंधन किया जावेगा। इसका उद्देश्य ब्याज के भार को कम किया जाना होगा।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

4.1 गत दो वित्तीय वर्षों में संचित दायित्वों का भुगतान किया गया, अनुदान के भार को कम करने के लिए भी पूर्व वर्षों में सार्थक प्रयास किये गये। नित्यक्रम के आवर्ती व्यय को योजना मद से हटाने का प्रयास भी किया गया है, जिससे राज्य की वार्षिक योजना की बेहतर और सही तस्वीर आ सके। राज्य शासन 12 वें वित्त आयोग के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध है। बजट में राज्य शासन के सुधार प्रयासों के लिए प्रावधान किये गये हैं जैसे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का समापन।

4.2 शासन द्वारा लागू की गई नवीन पेंशन स्कीम का परिणाम दीर्घ अवधि में परिलक्षित होगा। पेंशन पर व्यय 9.66 प्रतिशत की दर से बढ़ना जारी है।

4.3 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार योजनान्तर्गत ब्लाक ऋण के स्थान पर खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करना जारी रहेगा। राज्य शासन अपने ऋणों को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि ब्याज दर न्यूनतम हो। साख बाजार की अनुकूल स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF) ऋण पर निर्भरता में कम से कम 20 प्रतिशत तक की कमी की जावेगी।

4.4 ऊर्जा क्षेत्र में दरों के युक्तियुक्त करण से अनुदान कम होगा। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को बंद करने से भी कुछ हद तक शासन का अनुदान व्यय कम होगा। स्थानीय संस्थाओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे उपयोग शुल्क (User Charges) वसूल करें ताकि अनुदान का भार अप्रत्यक्ष रूप से कम हो। राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों को उत्तरोत्तर अनुदान के प्रवाह के साथ जोड़ा जायेगा।

(5) नीति मूल्यांकन : अधिनियम द्वारा वांछित सभी राजकोषीय जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। राजकोषीय नीति की आवश्यक मान्यतायें (Assumptions) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय एवं निष्पादन योग्य हैं। सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी सभी ऋण एवं व्यय की नवीन मर्दें जो वित्तीय रूप से भावी पीढ़ी को प्रभावित करेंगी, उनका उचित स्थान पर स्पष्ट उल्लेख है। अतः वर्तमान राजकोषीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित मापदण्डों के अन्तर्गत है।

प्ररुप एफ - 4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु.क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2004-05	2005-06 (पु.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	6.30	4.21	3.87
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	-26.45	0.53	-19.91
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	1.67	-0.02	0.77
4	टी.आर.आर. के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	8.70	-0.12	4.13
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	50.09	52.35	52.19
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	261.47	278.03	279.70
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	664.39	664.31	654.82
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	43.10	41.80	44.56
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	76.27	143.70	106.05
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	18.54	17.27	17.65
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	31.40	30.47	30.56
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	6.74	7.25	7.52

प्ररूप एफ - 5

(नियम 7 देखिये)

क. राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रूपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष 2004-05 (लेखा)	चालू वर्ष 2005-06 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2006-07 (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष 2004-05 (लेखा)	चालू वर्ष 2005-06 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2006-07 (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष 2004-05 (लेखा)	चालू वर्ष 2005-06 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2006-07 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	1730.20	1551.40	2828.33	276.87	316.38	332.23	9301.79	10536.81	13032.91
2	केन्द्र से ऋण	1881.01	504.97	605.09	1977.59	432.61	431.83	9112.18	9184.54	9357.80
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2765.67	2840.00	2160.00	0.00	36.45	77.13	9129.24	11932.79	14015.65
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	2472.12	623.72	771.16	870.15	168.97	353.80	5725.07	6179.83	6597.19
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	2234.74	0.00	0.00	2501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	1870.83	1438.18	1512.24	1194.09	1364.12	1447.24	7744.70	7818.76	7883.76
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	योग	12954.57	6334.55	7876.82	6820.22	2318.53	2642.23	41012.98	45652.73	50887.31

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु.क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये [^]		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2004-05	चालू वर्ष (पु.अ.) 2005-06	पूर्व वर्ष (लेखा) 2004-05	चालू वर्ष (पु.अ.) 2005-06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	6.62	7.69	7.89	7.68
2	केन्द्र से ऋण	9.00	9.00	11.67	8.74
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	10.47	10.38
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	7.87	7.50	9.21	8.10
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	7.50	7.50	0	0
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.66	8.00
7	अन्य जमा	-	-	-	-
8	कुल औसत दर *	8.40	8.71	9.62	8.64

[^] अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2004-05	चालू वर्ष * 2005-06
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	2234.74	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	127	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

*जैसा 31 दिसम्बर 2005 को है।

प्ररूप एफ - 6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररूप एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-		

* :- आंकड़ा (डाटा) चालू वर्ष के लिये 31 दिसम्बर तक है।

प्ररूप एफ - 8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	0	0	3.57	0	3.57

प्ररूप एफ - 9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें स्थानीय निकायों को ऋण कंपनियों को ऋण अन्य को ऋण	2608.42 697.52 0.00 1910.90	3257.67 31.97 0.00 3225.70	5866.09 729.49 0.00 5136.60
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इनवेस्टमेंट) अंशपूंजी (शेयर) बोनस शेयर	1737.28	2414.36	4151.65
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/कोषालयीन बिलों में विनिधान	557.40	0.00	557.40
4	14 दिन के इंटरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	0.00	199.65	199.65
5	अन्य वित्तीय विनिधान	-	-	-
6	योग	4903.10	5871.68	10774.79

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररुप एफ - 10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	-	-	-
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व	93.66	38.09	131.75
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	16.08	59.09	75.17
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	-	766.89	766.89
0039	राज्य आबकारी	20.51	33.20	53.71
0041	यानों पर कर	-	31.80	31.80
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.10	0.43	0.53
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	23.85	4.11	27.96
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	38.33	11.26	49.59
0700- 0701- 0702	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई मध्यम, तथा लघु सिंचाई	79.73	104.44	184.17
0406	वन तथा वन्य जीव	3.24	17.28	20.52
	अन्य	-	-	-
	योग	275.50	1066.59	1342.09

प्ररुप एफ - 11

(नियम 7 देखिये)

क. राज्य सरकार में नियोजन

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	4806	0.99
2.	2501 से 4300	166090	34.11
3.	4301 से 6100	162531	33.37
4.	6101 से 9700	131493	27.00
5.	9701 से 13300	14964	3.07
6.	13301 से 19300	6663	1.37
7.	19301 से अधिक	432	0.09
	योग	486979	100-00

ख. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	1158	1.71
2.	2501 से 4300	12925	19.06
3.	4301 से 6100	28011	41.31
4.	6101 से 9700	20453	30.16
5.	9701 से 13300	3215	4.74
6.	13301 से 19300	1901	2.80
7.	19301 से अधिक	147	0.22
	योग	67810	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

1.	800 तक	1502	11.16
2.	801 से 1000	3965	29.45
3.	1001 से 1400	4458	33.12
4.	1401 से 2000	2357	17.51
5.	2001 से 3500	1055	07.84
6.	3501 से 5000	113	00.84
7.	5001 से अधिक	11	00.08
	योग	13461	100.00

ग. अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

ग. (i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	778	10.98
2.	2501 से 4300	2658	37.51
3.	4301 से 6100	1579	22.28
4.	6101 से 9700	1444	20.38
5.	9701 से 13300	517	7.30
6.	13301 से 19300	95	1.34
7.	19301 से अधिक	15	0.21
	योग	7086	100.00

ग. (ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	45	1.54
2.	801 से 1000	681	23.31
3.	1001 से 1400	502	17.19
4.	1401 से 2000	597	20.44
5.	2001 से 3500	945	32.35
6.	3501 से 5000	135	4.62
7.	5001 से अधिक	16	0.55
	योग	2921	100.00

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	754	7.89
2.	2501 से 4300	5395	56.44
3.	4301 से 6100	1017	10.64
4.	6101 से 9700	965	10.10
5.	9701 से 13300	760	7.95
6.	13301 से 19300	528	5.52
7.	19301 से अधिक	140	1.46
	योग	9559	100.00

ड. नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	22414	34.34
2.	2501 से 4300	35945	55.08
3.	4301 से 6100	5046	7.73
4.	6101 से 9700	1522	2.33
5.	9701 से 13300	301	0.46
6.	13301 से 19300	36	0.06
7.	19301 से अधिक	00	0.00
योग		65264	100.00

च. विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	329	17.11
2.	2501 से 4300	862	44.82
3.	4301 से 6100	349	18.15
4.	6101 से 9700	260	13.52
5.	9701 से 13300	94	4.89
6.	13301 से 19300	29	1.51
7.	19301 से अधिक	00	0.00
योग		1923	100.00

छ. ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(पूर्व वर्ष 2004-05 के अंत की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	69453	71.65
2.	2501 से 4300	24236	25.00
3.	4301 से 6100	2483	2.56
4.	6101 से 9700	591	0.61
5.	9701 से 13300	142	0.15
6.	13301 से 19300	29	0.03
7.	19301 से अधिक	00	0.00
योग		96934	100.00